

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/यो० बजट-52/2016

पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को नये विद्युत संबंध देने हेतु, खराब पड़े मीटर को बदलने एवं उदय योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप फीडर मीटरिंग एवं स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिए राशि 115.35 करोड़ (एक सौ पन्द्रह करोड़, पैंतीस लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 15.35 करोड़ (पन्द्रह करोड़ पैंतीस लाख) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

राज्यादेश सं०-3789 दिनांक-30.12.2016 के द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को नये विद्युत संबंध देने हेतु, खराब पड़े मीटर को बदलने एवं उदय योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप फीडर मीटरिंग एवं स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिए राशि 115.35 करोड़ (एक सौ पन्द्रह करोड़, पैंतीस लाख) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए राशि 113.00 करोड़ (एक सौ तेरह करोड़) रुपये अर्थात् कुल राशि 228.35 (दो सौ अठाईस करोड़, पैंतीस लाख) की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 100.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य की महत्ता एवं इस योजना की त्वरित गति से किये जा रहे कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये 100.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में 15.35 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को नये विद्युत संबंध देने हेतु, खराब पड़े मीटर को बदलने एवं उदय योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप फीडर मीटरिंग एवं स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिए राशि 115.35 करोड़ (एक सौ पन्द्रह करोड़, पैंतीस लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 15.35 करोड़ (पन्द्रह करोड़ पैंतीस लाख) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0107, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र

कोड-P4801051900107, मांग सं०-10, विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता(पी० एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0048-नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड व्यय शीर्ष L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या क्रमशः PLA276 से की जाएगी।

6.. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा संचिका संख्या-प्र०/यो० बजट-05/2015 के पृष्ठ संख्या-5/टि० पर दिनांक-27.12.2016 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/यो० बजट-05/2015 के पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक-06.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक प्र०/यो० बजट-05/2015

दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक प्र०/यो० बजट-05/2015 394

दिनांक- 10/02/2017

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।